



11/12/23  
पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन  
अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण  
पत्रावली दिनांक 5/2/24 को पेश हो।

शेडर

5/2/24  
पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन  
अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण  
पत्रावली दिनांक 13/3/24 को पेश हो।

शेडर

13/3/24

वकील प्रार्थना उपस्थित। पेंशनर सरकार (लक्ष्मीकर  
उदर) उपस्थित। उक्त पत्र की वरस खोजी गई। पत्रावली  
वास्तु को पेश हेतु दिनांक 20/3/24 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

20/3/2024

वकील प्रार्थना उपस्थित। उक्त पत्र पेंशनर सरकार  
उपस्थित। वकील प्रार्थना के प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत  
कोर्टो उग्र निधम 7 पीठ का प्रकृत क्रिया लिफाफा उक्त पत्र  
संख्या 2 नदसीपारन काव देवागडी चाहे है। वकील  
प्रार्थना के कृत गथा। वकील प्रार्थना ने कथक क्रिया की  
मौजू स्थिती की रिपोर्ट मांगी गये। उक्त का अवलोकन  
क्रिया उक्त में प्रार्थना के प्रार्थना-पत्र 212 सि.अ.स.टी.  
प्रकृत कर निवेदन क्रिया कि मौजू ग्राफ (कोव) नदसील  
देसूरी के वरस के कर 961 रुकवा 1.81 हेक्टर विधमग है।  
निधम से वरस पसितीशील में प्रार्थना के गम से मौजू  
पर 0.32 हेक्टर करी कला काशर विधमग है। उक्त  
आपत्ती पर प्रार्थना का संवत् 2012 के पहले से कला  
काशर चला जा रहा है वरस पसितीशील में संवत्

सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) देसूरी 20.3.2024


२०१२ से लगातार कल तक प्रमाणित है. प्राथमिक द्वारा  
 मुल वाद अन्यायकार ४४, ४७, १४४, ७२ ए RTA का  
 प्रस्तुत किया है. क्रायमिग द्वारा प्राथी के कल भारत की  
 भूमि पर ७१ ए RTA की कार्यवाही की जा रही है प्राथमिक  
 को ६६ वर्षों से पुराना कल भारत होने से खालेसिचोपित  
 किमानकम खालेसरी एक अधिकार दिलाने जावे. क्रायमिग  
 द्वारा वादग्रस्त कारती को बेखरल करे पर उतारि है  
 क्रायमिग को जरिफे कलपानी निषेधाका से नही रोकाजा  
 जे प्राथमिक को कपणीय कल होगी. जिसकी अति शक्ति  
 होसकेगी. क्रायमिग को जरिफे कलपानी निषेधाका से प्राथी  
 के कल भारत में दखलदारी से रोकावे. मॉका केकेकेकी  
 मधा स्थिती के आदेको प्रकत करके।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर क्रायमिग को वास्ते जाकिय  
 हेतु गोदील जारी किया गया। क्रायमिग ने जाकिय प्रस्तुत कर  
 जाहिर किया की वादग्रस्त कारती राजकीय सिवाभचक भूमि  
 है रकसरा गे कर २६। रकसा १.४१ हेक्टर जिसकी डिफ गेण्डु  
 पहाड है एवं सरकारी रकसरा है. प्राथी को किसी प्रकार की  
 राहत देना उचित नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। भविष्य प्राथमिक  
 ने जाहिर किया कि प्राथी का कल भारत पुराना चकोश रहें।  
 क्रायमिग ७१ के कल कार्यवाही कर प्राथी को खदखल करना  
 चाहते हैं. प्राथी के कल भारत में क्रायमिग दखलदारी नही  
 करे हेतु कलपानी निषेधाका से रोका जावे।

परोकार सरकार ने कपनी बहस में बताया कि प्राथमिक  
 ने राजकीय सिवाभचक भूमि पर कलपानी किया है भूमि की  
 डिफ गेण्डु पहाड सरकारी भूमि है प्राथी को प्राथमिक पर खदखल  
 किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मगन किया। पत्रावली परोकार  
 सरकार के जाकिय का अवलोकन किया। एवं मुल वाद का भी  
 अवलोकन किया गया। प्राथमिक ने वादग्रस्त कारती की  
 मॉका स्थिती की रिपोर्ट मंगवाने हेतु जावेक किया गया। प्रकरण

  
 सहायक जज  
 (एस.डी.ओ.)


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामिल  
में जारी हुए

में मोंका स्थिती डी रिपोर्ट में गवर्नर जाग उचित प्रतीत नही  
होता है लिहाजा आर्थिक-पत्र 0-39, R-7 सी.पी.सी.  
स्वीकार किया जाता है।

वाइ उस्त आराजी राजकीय स्विवाचक भूमि है। आर्थिक  
कमिश्नी है पेंरोकार सरकार द्वारा आर्थिक से विनियमन  
डा RTA की कार्यवाही की गई है एवं नती डी डिस्ट्रिक्ट  
पदाउ राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त हस्ता मामला अपूर्ण  
अति एवं सुविधा का संतुलन नभवि के नीचे सिद्धांत आर्थिक  
क हक में नही होकर कर्णवी के पक्ष में होना प्रतीत होता है।  
उपरोक्त विवेचन से आर्थिक का आर्थिक-पत्र अन्तर्गत आता  
12 RTA स्वीकार प्रोग्र प्रतीत होता है। आर्थिक-पत्र को  
स्वीकार किया जाता है।

आदेश क्रम दिनांक 20-3-2024 के अन्तर्गत नभवि में  
से इन्फार्म सुगम गभरी। पत्रावली के संलेखनार होकर उक्त  
गड के संलग्न है।

  
सहायक कमिश्नर  
(एस.डी.ओ.) देवरी (पाली) 20.3.2024